भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1752
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरों में जलभराव

1752. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मानसून के दौरान शहरों, विशेषकर पटना शहर में बाढ़ और जलभराव की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों और व्यय किए गए बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): शहरों में बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। सामान्यतः कम अवधि में उच्च तीव्रता वाली वर्षा की बढ़ती घटनाएं शहरों में बाढ़ की समस्या का मुख्य कारण होती हैं, जो अनियोजित विकास, प्राकृतिक जल निकायों पर अतिक्रमण, अपर्याप्त सीवर सिस्टम, अपर्याप्त वर्षा जल निकासी प्रणाली, अतिक्रमण आदि से और भी जटिल हो जाती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरों में बाढ़ और जलभराव की घटनाओं का केंद्रीय स्तर पर विवरण नहीं रखता है।

पटना शहर में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने दो बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन बना रखे हैं, जिनके नाम गांधी घाट और दीघा घाट हैं। केंद्रीय जल आयोग दो प्रकार के पूर्वानुमान जारी करता है, अर्थात शोर्ट-रेंज फोरकास्ट (24 घंटे के रेस्पोंस टाइम वाली) और 7 दिन का एडवाइजरी फ्लड फोरकास्ट। एडवाइजरी फोरकास्ट आईएमडी मौसम पूर्वानुमान और नदी बेसिन गणितीय मॉडल के माध्यम से विभिन्न सैटलाइट इनपुट के उपयोग पर आधारित है। दोनों बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों ने वर्ष 2019, 2021, 2022 और 2024 के दौरान गंभीर बाढ़ की स्थिति (स्टेशन पर जल स्तर खतरे के स्तर को पार कर गया) की जानकारी दी।

बिहार सरकार ने बताया है कि 2024 में पटना शहर में बाढ़ का कोई मामला नहीं आया और केवल कुछ शहरी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जल भराव की जानकारी प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित पटना शहर को सुरक्षा दीवार से सुरक्षित किया गया है, जिसका निर्माण गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 2024 में बारिश के मौसम के दौरान दीघा घाट और गांधी घाट पर दर्ज किए गए उच्चतम जल स्तर उनके संबंधित एचएफएल से नीचे थे।

(ख) और (ग) बाढ़ नियंत्रण के लिए शमन उपाय और जल निकासी योजना तैयार करना राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

बिहार सरकार ने बताया है कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पटना शहर में 56 स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन और 28 अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन हैं। इसके अलावा, पटना और आसपास के इलाकों को जलभराव से मुक्त रखने के लिए राज्य सरकार ने 1230.74 करोड़ रुपये की लागत वाली स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजनाओं और 325.48 करोड़ रुपये की लागत वाले 22 नए ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के लिए अनुमोदन दे दिया है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त कार्यों के लिए 545.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान पंप क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 137.74 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014:

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

http://www.tcpo.gov.in/sites/default/files/TCPO/schemes/SOP-Urban-flooding.pdf

iii. 2021 में नदी केन्द्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश, ताकि शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके।

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण पर मार्गदर्शन दस्तावेज़

https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत, वर्षा जल निकासी एक स्वीकार्य घटक है जिसमें बाढ़ की समस्या को कम करने और खत्म करने के लिए नालियों/वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण और सुधार शामिल है। अमृत के तहत, 3018 करोड़ रु. की लागत वाली 841 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2,271 करोड़ रु. की लागत वाली 783 वर्षा जल निकासी परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,621 स्थानों पर जल भराव की समस्या समाप्त हो गई है।

अमृत 2.0 के तहत जलाशयों और कुओं का पुनरुद्धार मुख्य घटकों में से एक है। इसके तहत स्वीकार्य तत्वों में वर्षा जल को जलाशयों (जिसमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं आ रहा है) में वर्षा जल नालियों के माध्यम से संचयित करना शामिल है। अमृत 2.0 के तहत अब तक 6,159 करोड़ रु. की लागत वाली 3,078 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए अनुमोदन दिया जा चुका है।

*****